प्रारूप – II

790
8/3/16

**बिहार सरकार**
**श्रम संसाधान विभाग**
**निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।**

**कार्यालय–आदेश**

Skill Development Initiative Scheme (SDIS) के Operations Manual में निहित प्रावधानों के तहत Modular Employable Skill (MES) के अन्तर्गत सभी संबंधित वी0टी0पी0 को निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुश्रवण करना अनिवार्य होगा :–

1. सभी VTP संस्था MES के उन्ही कोर्स को चलाने के लिए योग्य होंगें जिसके लिए उन्हें अनुशंसा करते हुए निबंधित किया गया।
2. VTP अपना कोई Franchise नहीं खोल सकते।
3. MES कोर्स पुर्णतया निःशुल्क है प्रशिक्षु से किसी प्रकार की राशि नहीं ली जा सकती है, यदि संस्था द्वारा राशि ली जाती है तो उस पर उचित कार्यवाई की जाएगी।
4. सभी भी0टी0पी0 संस्थानों के पास संबंधित सेक्टर/ मॉउडूल का Syllabus होना अनिवार्य है।
5. नार्म्स के अनुरूप संस्था के पास भवन, विद्युत, मशीन एवं उपकरण, प्रशिक्षक का होना अनिवार्य है।
6. VTP संस्था अगर MES के अतिरिक्त कोई अन्य कोर्स चला रहे हों तो उन्हें शपथ–पत्र के जरिये यह बतलाना हागा कि :–

   (क) यदि संस्था CTS, डिपलोमा या ईंजिनियरिंग का कोर्स चला रहे हो तो MES में ट्रेनिंग रेगुलर कार्य अवधि के उपरान्त ही कराना सूनिश्चित करेगें।

   (ख) संस्थान में चलाए जा रहे अन्य कोर्स में पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों को एक ही समय में MES की किसी भी कोर्स हेतु नामांकित न हो।

   (ग) VTP संस्था SDIS स्कीम के अर्न्तगत MES के समानान्तर कोई कोर्स नहीं चला रहे हैं।
7. वैसे modules जिसका प्रशिक्षण अवधि 300 अथवा 300 से अधिक हो वहाँ कम्प्यूटर लैब स्थापित रहना अनिवार्य है।
8. वैसे modules जिनका प्रशिक्षण अवधि 300 घंटा या उससे अधिक है, वैसे मॉडूल में ट्रेनिंग देने के पूर्व Soft and Entrepreneurship skill module में ट्रेनिंग देना अनविार्य है साथ ही प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशालय को अवगत कराना होगा। प्रशिक्षण से संबंधित साक्ष्य निदेशालय को ट्रेनिंग कैलेण्डर अपलोड करने से पूर्व उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें TBN आवंटित नहीं किया जायेगा ।
9. Bio-Metric System सभी संस्थानों/ प्रतिष्ठानों के पास होना अनिवार्य है ।
10. किसी भी बैच में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या भारत सरकार के मापदन्ड के अनुरूप न्युन्तम 10 तथा अधिकतम 26 (अथवा जो लागु हो) होना अनिवार्य होगा।
11. 30% महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देना अनिवार्य है ।

P

12. इस योजना के तहत सभी वी0टी0पी0 को राज्य के आरक्षण नियमावली का पालन नियमानुसार करना अनिवार्य है। (SC-16% , ST-01% , EBC-18% , OBC-12% , RCG-3% & DQ-3% )

13. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत एवं अनुदेशकों की उपस्थिति 90 प्रतिशत अनिवार्य है। विदित हो की SES प्रशिक्षण की उपस्थिति पंजी स्पष्ट होना अनिवार्य है जो प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित पाये जाते हैं तो स्पष्ट रूप से उपस्थिति कॉलम में A तथा उपस्थिति पंजी में सभी प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अंक के माध्यम से दर्शाना होगा । उद्याहरण हेतु प्रोफार्मा निम्न है:–

| कम सं0 | SDI Portal का Enrollment no (Candidate Id) | कोर्स मॉडूल का नाम | अवधि | प्रशिक्षणार्थी का नाम | पिता का नाम | जन्म तिथि | आधार संख्या | उपस्थिति | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USP/00365 64212 | | | रवि कुमार | श्री राजू कुमार | 05–01 –95 | | 1 | 2 | 3 | A | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A | A | 9 |
| 2 | USP/00365 64213 | | | सुनील कुमार | श्री मुकेश रजक | 26–10 –98 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | 11 |
| 3 | USP/00365 64215 | | | राधा कुमारी | श्री बबन सिंह | 9–8–2 000 | | 1 | A | 2 | 3 | 4 | A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

14. यथा संभव आधार कार्ड का विवरण भी प्रत्येक अभियार्थी का रखे, ताकि गड़बड़ी को Minimise किया जा सके एवं एसे वी0 टी0 पी0 को जो अधिक से अधिक आधारयुक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देते हैं को Grading में प्राथमिकता दी जाएगी।

15. इस योजना के तहत सभी वी0 टी0 पी0 को एक दिन में कम से कम 3 घंटा तथा अधिकतम 6 घंटा एक मॉडूल में प्रशिक्षण देना है साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश लागू करना अनिवार्य है।

16. इस योजना के तहत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के कम से कम 80 प्रतिशत प्लेसमेन्ट कराना अनिवार्य है। यदि संस्था द्वारा छः माह के अन्दर प्लेसमेन्ट संबंधी आकड़े पोर्टल पर अंकित नहीं किये जाने के स्थिति में उक्त वी0 टी0 पी0 का पंजीयन रदद् करने की अनुशंसा की जा सकती है।

17. इस योजना के तहत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के कम से कम 50 प्रतिशत लोगो को राज्य द्वारा निर्धारित न्युनतम वेतन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तीन माह के अन्दर यह सुनिश्चित नही होने की स्थिति में उक्त वी0 टी0 पी0 का पंजीयन रदद् करने की अनुशंसा की जा सकती है।

18. प्रशिक्षणार्थियों का फोटो, जन्म तिथि, योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज का स्कैन कॉपी ट्रेनिंग कैलेंडर बनाने के उपरान्त निदेशालय को सी0 डी0 या ई–मेल – vtpbihar14@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

19. इस योजना के तहत पंजीकृत संस्थानों को आदेश निर्गत से तीन माह के अन्दर (यदि संस्थान नया है तो ) या दो बैचो के बीच की अवधि छः माह से ज्यादा होने की स्थिति में उक्त वी0 टी0 पी0 का पंजीयन रदद् करने की अनुशंसा की जा सकती है।

20. इस योजना के तहत यदि एक वी0 टी0 पी0 एक प्रशिक्षणार्थी का नाम एक से ज्यादा बैच में एक ही समय अंकित करता है तो वैसी स्थिति में उक्त वी0 टी0 पी0 पंजीयन रदद् करने की अनुशंसा की जा सकती है।

21. इस योजना के तहत वी0 टी0 पी0 को प्रशिक्षण समाप्त होने के 7 दिनों के अन्दर Assessment कराना अनिवार्य है। यदि पॉच में से तीन बैच में ऐसा नहीं होने की स्थिति में उक्त वी0 टी0 पी0 का पंजीयन रदद् करने की अनुशंसा की जा सकती है।
22. इस योजना के तहत पॉच में से तीन बैच में अनुत्तिर्ण प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में उक्त वी0 टी0 पी0 का पंजीयन रदद् करने की अनुशंसा की जा सकती है।
23. इस योजना के तहत यदि पॉच में से तीन बैच में अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 10 या उससे अधिक हो तो ऐसी स्थिति में उक्त वी0 टी0 पी0 का पंजीयन रदद् करने की अनुशंसा की जा सकती है।
24. प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन हेतु नामित Assessor का मूल्यांकन की तिथि की सूचना प्राप्त होने पर Vocational Training Provider (VTP) द्वारा निदेशालय को इस ई–मेल – vtpbihar14@gmail.com पर सूचित करना अनिवार्य होगा ताकि निदेशालय द्वारा Assessment के समय जिलावार निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी की सूचि में से किसी एक को नामित किया जा सके।
25. यदि VTP संस्था SDIS स्कीम के अर्न्तगत किसी भी मापदंड की अवहेलना/अनदेखी करते हुए पाई गई तो उसका पंजीयन रदद् कर दिया जाएगा।

04/03/16
निदेशक
नियोजयन एवं प्रशिक्षण,
बिहार पटना।

ज्ञापांक– टी 2/एम0ई0एस0–14/2013(खण्ड)-790 पटना, दिनांक– 8/3/16
प्रतिलिपि – निदेशक (एस0 डी0 आई0) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

04/03/16
निदेशक
नियोजयन एवं प्रशिक्षण,
बिहार पटना।

ज्ञापांक– टी 2/एम0ई0एस0–14/2013(खण्ड)-790 पटना, दिनांक– 8/3/16
प्रतिलिपि – राज्य में संचालित/आवेदित सभी वी0टी0पी0 निदेशक /संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/प्रभारी पदाधिकारी (वी0टी0पी0)/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

04/03/16
निदेशक
नियोजयन एवं प्रशिक्षण,
बिहार पटना।